(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 226–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 62/अपील/2011–12.

.....

ध्रुवनारायण रिछारिया आ0स्व0श्री रघुवरदयाल रिछारिया
निवासी खरार तहसील व जिला होशंगाबाद
हाल मुकाम हाउसिंग बोर्ड कालोनी होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद

..... आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मीनारायण उर्फ कृष्ण कुमार आ0रेवाशंकर दीवान
निवासी ग्राम खरार तहसील व जिला होशंगाबाद

..... अनावेदक

.....

श्री स्वपनिल तेलंग एवं श्री सतीश सिंह, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7/4/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा ग्राम खरार स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 20, 21, 22 एवं 16 कुल रकबा 38.00 एकड़ पर कब्जा दर्ज करने हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–2–2007 को आदेश पारित कर खसरे के कॉलम नम्बर 12 में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कब्जा दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–11–2011 को आदेश पारित तहसील न्यायालय का आदेश यथावत् रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय

अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–11–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी आवेदक के होने के बावजूद भी उसे तहसील न्यायालय द्वारा सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(2) संहिता में कब्जा दर्ज किये जाने का प्रावधान नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा बिना पटवारी के साक्ष्य लिये और बिना आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमियों पर वर्षो से अनावेदक का नाम दर्ज है और बिना पटवारी की रिपोर्ट लिये अनावेदक का नाम दर्ज करने में त्रुटि की गई है और तहसील न्यायालय के आदेश की दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पुष्टि करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तथ्यात्मक एवं वैधानिक प्रावधानों पर विचार करते हुये आदेश पारित किया गया है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वत्व व स्वामित्व की भूमियॉ है और आवेदक से उसका रक्त संबंधी कोई रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद भी छलकपट पूर्वक आवेदक द्वारा अपने नाम करा लिया था । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन लेकर अनावेदक का कब्जा दर्ज करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् न तो वे उपस्थित हुये और न ही उसके द्वारा लिखित अथवा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये, अतः आवेदक स्वयं अपने प्रति प्रकरण में पूर्ण उपेक्षावान है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बिना भूमिस्वामी को सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज कर दिया गया है, जबकि पटवारी रिपोर्ट में बटाईदार के रूप समें मोहन का नाम दर्ज होना बताया गया है, अनावेदक का नहीं । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा की गई कब्जा दर्ज करने की कार्यवाही विधिसंगत नहीं ठहराई जा सकती है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जा रहा है, अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में विधि एवं न्याय की भूल की गई है । अनुविभागीय अधिकारी को न्यायहित में अपील समय सीमा में मानकर गुणदोष पर प्रकरण का निराकरण करना चाहिये था । अपर आयुक्त द्वारा भी बिना उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर विचार किये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिये उनका आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर